अपील /29/2023 **न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर**

श्री बाबूलाल पुत्र स्व0 श्री डालचंद जाति सैनी निवासी सूरजपोल गेट भरतपुर जिला भरतपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

रा0 सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर

.......रेस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू–राजस्व अधिनियम विरुद्ध नामान्तकरण आदेश दिनांक 27–4–2010 न्यायालय तहसीलदार भरतपुर नामान्तकरण संख्या 110 बाबत खसरा नम्बर 544,545,546,547,562,565,564, बाके चक नं. 3 भरतपुर ।

उपस्थित :–
1–श्री चन्द्रमोहन गुप्ता अभिभाषक अपीलान्ट,
2–पैरोकार सरकार रेस्पो.

निर्णय **दिनांक 7.6.2024**

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो0 व खिलाफ आदेश नामान्तकरण संख्या 110 दिनांक 27.4.2010 पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 110 जो कि डालचन्द की विरासत का अपीलान्ट बाबूलाल एवं शिवलाल, श्यामसुन्दर, हरप्रसाद पिसरान डालचन्द कोम माली सा. सूरजपोल गेट भरतपुर के हक में स्वीकार किया गया है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर तहत पत्रावली तलब की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि आराजी खसरा नम्बर 544 लगायत 547 व 562,564,565 (के चक नम्बर 3 भरतपुर अपीलान्ट के पिता स्व0 डलचंद की क्रय शुदा आराजी थी जिसमें डालचंद 1/2हिस्से में से 1/3 का कुल 21ऐयर में से काबिज खातेदार काश्तकार था और दाखिला खारिज संख्या 968 दिनांक 16.3.2010 से डालचन्द के नाम 1/2 हिस्से में 1/3 हिस्से का दाखिल खारिज स्वीकृत हुआ है। योग्य

.....2

अभिभाषक अपीलान्ट ने बताया कि डालचन्द अपीलान्ट के अलावा पत्नी अंछी देवी, पुत्र शिवलाल, श्यामसुन्दर हरप्रसाद, पुत्री गंगा देवी थी, स्व. डालचन्द की पुत्री गंगादेई व पत्नी अंछी देवी ने दिनांक 17.2.2005 को अपने 2/6 हिस्सा की

रिलीज जरिये पंजीकृत रिलीज डीड अपीलान्ट के पक्ष में करा दी थी । अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 110 में अपीलान्ट का 1/6 हिस्सा के स्थान पर 3/6 हिस्सा खाना नम्बर 9 में अंकित होना चाहिये था परन्तु सहवन से 3/6 के स्थान पर 1/6 लिख गया है जिसका सुधार किया जाना आवश्यक है। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 110 में अपीलान्ट के हिस्सा 1/6 के स्थान पर 3/6 मोडिफाईड किये जाने के आदेश दिये जाने की प्रार्थना की गई।

पैरोकार सरकार का कहना है कि विवादित अपीलाधीन नामान्तकरण में अपीलाधीन नामान्तकरण मृतक डालचंद की विरासत का दर्ज किया गया है। उक्त नामान्तकरण में अपीलान्ट बाबूलाल, अंछी देवी, शिवलाल, श्यामसुन्दर हरप्रसाद, गंगा देवी खातेदार दर्ज हैं, जो अपील में आवश्यक पक्षकार हैं जिन्हें पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है। इन्हें भी सुना जाना आवश्यक है। अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन कथित नामान्तकरण का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट द्वारा नामान्तकरण संख्या 110 दिनांक 27.4.2010 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना अपील में की गई है। तहसीलदार भरतपुर ने अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 110 दिनांक 27.4.2010 की तलबी की गई, तहसीलदार भरतपुर के पत्रांक/क्रमांक/एलआर/24/307 दिनांक 30.1.2024 से प्राप्त नामान्तकरण संख्या 110 का अवलोकन किया गया तहसीलदार भरतपुर से प्राप्त नामान्तकरण संख्या में अंकित तथ्य अपील मे अंकित तथ्यों से पृथक हैं, इस अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत सत्यप्रतिलिपि नामान्तकरण में अंकित तथ्य और अपील में अंकित तथ्य मेलखाते है। इस से यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा विचाराधीन अपील में जिस नामान्तकरण संख्या 110 के खिलाफ अपील की गई है वह पृथक है, अपीलान्ट को अपीलाधीन नामान्तकरण का सही क्रमांक एवं सही आदेश दिनांक अंकित करना चाहिये था। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील गलत आदेश के खिलाफ पेश की गई है। अपील की मद नम्बर 2 में विवादित नामान्तकरण में बाबूलाल, अंछी देवी, शिवलाल, श्यामसुन्दर

हरप्रसाद, गंगा देवी को डालचन्द का वारिसान बताया गया है यानि मृतक डालचन्द की आराजी में ये भी विरासतन खातेदार है तथा हितधारी होने से वारिसान प्रकरण में आवश्यक पक्षकार हैं, जिन्हें मुकदमा में पक्षकार नहीं बनाये जाने से अपील चलने योग्य नहीं रहती है। अस्तु विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट काबिल खारिज के रहती है।

अतः आदेश है कि :-

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 07-06-2024 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर